खण्ड – 5 संख्या – 20

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –1

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 18 सितम्बर, 1986 ई०

3. वस्तुस्थिति यह है कि उक्त नलकूप मोहम्मद सलीम के घर के निकट सड़क के किनारे विभाग द्वारा गाड़ा गया था। तत्काल मोहम्मद सलीम ने उक्त नलकूप को फूस की ट्टटी से तीन तरफ से घेर लिया है । लेकिन आमलोग तो को उक्त नलकूपों से पेयजल की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं ।

4. मो० सलीम को उक्त फूस की टट्टी हटा लेने के लिए अनुरोध किया गया है । यदि 10 दिनों के अन्दर उनके द्वारा फूस की ट्टटी नहीं हटायी जाती है तो उनपर उसे हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

सड़क एवं नाले का पक्कीकरण :

2706. श्री बुद्धन प्रसाद यादव : क्या मंत्री, नगर विकास आपूर्त्ति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद के दाउदनगर नगरपालिका के दाउद खाँ नबाव के किला के पश्चिमी फाटक से ठाकुर विद्यालय तक कच्ची सड़क तथा ठाकुर विद्यालय से चमार टोली तक की कच्ची सड़क की स्थिति अभी खराब है तथा सड़क पर नाली का पानी भरा है ;

2. क्या यह बात सही है कि दाउदनगर, नगर पालिका द्वारा 1985 में उक्त सड़क की पक्कीकरण एवं पक्का नाली बनाने का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क एवं नाली को पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, तो

कबतक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बंदी शंकर सिंह : खण्ड-(1), (2) और (3) वस्तु स्थिति यह है कि 1985-86 वर्ष में दाउदनगर नगरपालिका की सड़कों के विकास के लिये 98,800 रुपया आवंटित किया गया है तथा 1986-87 में भी 1 लाख रुपया आवंटित की जा रही है । राशि की उपलब्धता को देखते हुए दाउदनगर नगरपालिका के अन्य सड़कों के विकास के लिए स्वीकृत करने पर विचार किया जायगा ।

श्री बुद्धन प्रसाद यादव : राज्य मंत्री महोदय ने बताया कि 1985-86 में इस पर 98 हजार 800 रुपया खर्च हुआ है लेकिन मेरा कहना है कि ठाकुर विद्यालय से चमार टोली तक सड़क को छोड़ दिया गया है, तो क्या सरकार उक्त दूरी तक नाली और सड़क को पक्कीकरण करने को सोचती है ?

श्री बन्दी शंकर सिंह : निधि उपलब्ध होने पर दाउदनगर नगरपालिका की सड़क और नाली के पक्कीकरण का निर्माण किया जायगा।

श्री बुद्धन प्रसाद यादव : चमरटोली तक पक्की करेंगे या नहीं ।

श्री बन्दी शंकर सिंह : हम 1986-87 में दाउदनगर नगरपालिका को इसके लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं ।

श्री राम बिलास सिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि 86-87 में उसे 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि ठाकुर विद्यालय से चमार टोली तक की कितनी दूरी है । इसका प्राक्कलन बना है या नहीं ?

श्री बन्दी शंकर सिंह : प्राक्कलन तो नगरपालिका का से बनकर आता है ?

श्री राम बिलास सिंह : प्राक्कलन मंगवा रहे हैं ।

श्री बन्दी शंकर सिंह : प्राक्कलन नगरपालिका बनाता है, हम नहीं बनाते हैं । हम प्राथमिकता के आधार पर राशि आवंटित करतें है।

श्री राम विलास सिंह : ये कहते हैं कि जब राशि उपलब्ध रहेगी तब तो क्या इस वित्तीय वर्ष में राशि दे रहे हैं या नहीं ?

श्री बंदी शंकर सिंह : मैंने कहा है कि 1986-87 में 1 लाख रुपया दे रहे हैं और 1985-86 में 98,800 रुपया दिया था ।

श्री राम विलास सिंह : मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप एक लाख रुपया ठाकुर विद्यालय से चमार टोली तक के लिये दे रहे हैं ।

श्री बन्दी शंकर सिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम इस रोड के लिये कोशिश करेंगे ।

श्री मो0 मुश्ताक : क्या मंत्री महोदय, दाउदनगर की कच्ची सड़कों के लिये प्राक्कलन के अनुसार राशि की स्वीकृति करेंगे ?

श्री बन्दी शंकर सिंह : सरकार राशि की उपलब्धता को देखते हुए इसे फेजवाइज करेगी ।

श्री मो0 मुश्ताक : कबतक करेगी, इस साल करेगी ?

श्री बंदी शंकर सिंह : मैंने कहा कि 1 लाख रुपया सड़क बनाने हेतु

ही दे रहे हैं ।

श्री मो0 मुश्ताक : इस सड़क के लिये दे रहे हैं या नहीं ताकि कच्ची से पक्की हो जाय ।

श्री कृष्णानन्द झा : 1 लाख रुपया सरकार देने जा रही है । जबकि नियम है कि नगरपालिका प्राक्कलन बनाकर देता है तो विभाग उसके अनुसार रुपया आंवटित करता है । तो मैं जानना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपया का आवंटन करने का आधार क्या है ?

श्री बंदी शंकर सिंह : एक लाख दो हजार का प्राक्कलन बन कर आया था लेकिन वह किस मद का है, इसकी जानकारी हम माननीय सदस्य को दे देंगे ।

विद्युत की आपूर्त्ति :

2707. श्री सुमृत मंडल : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत कुरमीचक एवं मेदनीचक का विद्युत ट्रांसफरमर तीन पूर्व ही जल गया है ;

2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ट्रांसफरमर को शीघ्र बदलकर सिंचाई हेतु बिजली आपूर्त्ति कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. बोर्ड की वर्त्तमान प्रक्रियानुसार 10 प्रतिशत भी अभी तक ये गाँव से जमा नहीं हो सका है । अतः ट्रान्सफरमर नहीं बदला जा